

राजनीतिक दान पर कर रियायतों में वृद्धि

प्रलिस के लिये:

[कर रियायतें](#), [आयकर अधिनियम, 1961](#), [राजनीतिक दल](#), [कंपनी अधिनियम, 2013](#), [चुनावी बॉण्ड योजना](#)

मेन्स के लिये:

भारत में राजनीतिक दान के लिये कर रियायतों के प्रभाव, राजनीतिक दान का वनियमन

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों ?

नवीनतम वित्तीय डेटा [राजनीतिक दलों को दिये जाने वाले दान](#) के लिये प्रदान की जाने वाली [कर रियायतों में उल्लेखनीय वृद्धि](#) दर्शाता है, जिसमें सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में लगभग 4,000 करोड़ रुपए दिये हैं।

- यह वृद्धि कर कटौती के माध्यम से चुनावी फंडिंग की बढ़ती प्रवृत्ति को उजागर करती है और कर रियायतों में वृद्धि राजनीतिक वित्त में व्यापक बदलाव एवं राजकोषीय नीतिके लिये इसके नहितार्थों को दर्शाती है।

राजनीतिक दान पर कर रियायतें क्या हैं?

- परिचय:** कर रियायत कसिी वशिष समूह या संगठन को चुकाए जाने वाले कर की राशि में कमी या कर प्रणाली में बदलाव है जो उन्हें लाभ पहुँचाता है।
 - भारत में, [आयकर अधिनियम, 1961](#) के तहत राजनीतिक दान पर कर रियायतें प्रदान की जाती हैं।
 - [आयकर अधिनियम, 1961](#) की धारा 80GGB, भारतीय कंपनियों को राजनीतिक दलों या चुनावी ट्रस्टों को दिये गए योगदान के लिये कटौती का दावा करने की अनुमति देती है।
 - हालाँकि, नकद में किये गए दान कटौती के लिये पात्र नहीं हैं। [आयकर अधिनियम, 1961](#) की धारा 80GGC, [व्यक्तियों](#), [फर्मों](#) और [अन्य गैर-कॉर्पोरेट संस्थाओं पर लागू](#) होती है।
 - चेक, खाता हस्तांतरण या चुनावी बॉण्ड के माध्यम से किये गए दान पर कटौती लागू होती है।
 - [आयकर अधिनियम](#) के अनुसार, [राजनीतिक दल](#) को [जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951](#) की धारा 29A के तहत पंजीकृत दल माना जाता है।
- कुल कर रियायतें:** वित्त वर्ष 2022-23 में, राजनीतिक दलों को दिये गए दान के लिये कुल कर रियायतें लगभग 3,967.54 करोड़ रुपए थीं।
 - सत्र 2021-22 में, कर रियायतें 3,516.47 करोड़ रुपए थीं, जो पछिले वित्त वर्ष से 13% की वृद्धि दर्शाती हैं।
- इन कटौतियों का राजस्व प्रभाव:** सत्र 2014-15 से, राजनीतिक दान पर कर रियायतों का कुल राजस्व प्रभाव लगभग 12,270.19 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है।
 - सत्र 2022-23 में, कर रियायतों में से 2,003.43 करोड़ रुपए धारा 80GGB के तहत कॉर्पोरेट करदाताओं द्वारा दिये गए दान से आए।
 - धारा 80GGC के तहत व्यक्तियों द्वारा दावा की गई कटौती 1,862.38 करोड़ रुपए थी।

कर रियायतों में वृद्धि के क्या नहितार्थ हैं?

- बढ़ती चुनावी फंडिंग:** राजनीतिक दान के लिये बढ़ती कर रियायतें चुनावी वित्तपोषण में बढ़ती प्रवृत्ति को उजागर करती हैं, जो यह सुझाव देती हैं कि राजनीतिक दल नगिमाँ और व्यक्तियों से मलिनने वाले योगदान पर अधिक नरिभर हो रहे हैं।
 - यह राजनीतिक नरिणय लेने में [शक्ति और प्रभाव के संतुलन](#) को संभावति रूप से बदल सकता है।
- पारदर्शति की आवश्यकता:** राजनीतिक दान में वृद्धि के साथ, राजनीतिक प्रक्रिया पर जवाबदेही सुनिश्चति करने और अनुचति प्रभाव को रोकने के लिये राजनीतिक वित्तपोषण में अधिक पारदर्शति की तत्काल आवश्यकता है।
 - रियायतों में तेज़ वृद्धि सार्वजनिक वित्त पर प्रभाव और राजनीतिक वित्तपोषण नीतियों में संभावति सुधारों की आवश्यकता के बारे में सवाल

उठाती है।

- **राजस्व हानि:** बढ़ी हुई कर रियायतें सरकारी राजस्व में महत्वपूर्ण कमी ला सकती हैं। यह सार्वजनिक सेवाओं और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को नधि देने की सरकार की क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं।
- **बाज़ार विकृतियाँ:** अत्यधिक रियायतें बाज़ार विकृतियाँ उत्पन्न कर सकती हैं, कुछ क्षेत्रों या कंपनियों को दूसरों पर तरजीह दे सकती हैं, जिससे अक्षमताएँ हो सकती हैं।
- **सतत् विकास:** जबकि कर रियायतें अल्पकालिक विकास को बढ़ावा दे सकती हैं, उन्हें दीर्घकालिक राजकोषीय स्थिरता के साथ संतुलित करने की आवश्यकता है। रियायतों पर अत्यधिक निर्भरता कर आधार और राजकोषीय स्थिति को कमज़ोर कर सकती है।

भारत में राजनीतिक दान पर क्या नियम हैं?

- **जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951:** जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29B राजनीतिक दलों को सरकारी कंपनियों और वदेशी स्रोतों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति या कंपनी से स्वैच्छिक योगदान स्वीकार करने की अनुमति देती है।
- **कंपनी अधिनियम, 2013:** **कंपनी अधिनियम, 2013** की धारा 182 भारतीय कंपनियों को किसी राजनीतिक पार्टी को कोई भी राशिदान करने की अनुमति देती है, जिसके लिये बोर्ड द्वारा प्राधिकरण, गैर-नकद भुगतान एवं कंपनी के लाभ व हानि (P&L) खाते में प्रकटीकरण जैसी शर्तें हैं।
- **आयकर अधिनियम, 1961:** भारतीय कंपनियों और व्यक्तियों धारा 80GGB एवं 80GGC के तहत राजनीतिक दलों या चुनावी ट्रस्टों को दिये गए दान पर कर कटौती के लिये पात्र हैं।
- **वदेशी अंशदान (वनियमन) अधिनियम, 2010 (FCRA):** जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और FCRA राजनीतिक दलों को 'वदेशी स्रोत' से दान स्वीकार करने से रोकते हैं, लेकिन अनुमत सीमा तक वदेशी नविश वाली भारतीय कंपनियों को अब 'वदेशी स्रोत' नहीं माना जाता है तथा वे अब **कंपनी अधिनियम, 2013** के तहत राजनीतिक योगदान दे सकती हैं।
- **चुनावी बॉण्ड योजना:** वर्ष 2018 में शुरू की गई चुनावी बॉण्ड योजना दानकर्त्ताओं को गुमनाम रूप से राजनीतिक दलों को दान देने की अनुमति देती है। बॉण्ड अधिकृत बैंकों के माध्यम से खरीदे जाते हैं और 15 दिनों के लिये वैध होते हैं।
 - फरवरी 2024 में, भारत के **सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वसम्मति से चुनावी बॉण्ड योजना** और संबंधित संशोधनों को असंवैधानिक करार देते हुए फौसला सुनाया कि यह योजना **सूचना के अधिकार का उल्लंघन** करती है।

आगे की राह

- **कर रियायतों की समीक्षा:** राजनीतिक दान पर कर रियायतों के ढाँचे पर पुनर्विचार करने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है कि वे व्यापक राजकोषीय नीतियों के साथ संरेखित हों और सरकारी राजस्व पर अनुचित प्रभाव न डालें।
 - कटौतियों पर उचित सीमाएँ निर्धारित करना और राजनीतिक वित्तपोषण के लिये वैकल्पिक तंत्रों की खोज करना वित्तपोषण प्रणाली की स्थिरता को बढ़ा सकता है।
- **सार्वजनिक वित्तपोषण:** यह राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनावी प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को सुवर्धित बनाने के लिये सरकारी वित्तीय सहायता को संदर्भित करता है, जिससे नज़ी दान पर निर्भरता एवं नहित स्वार्थों के संभावित प्रभाव को कम किया जा सके।
 - कई देश पछिले चुनाव प्रदर्शन, सदस्यता शुल्क और नज़ी दान जैसे विभिन्न मानदंडों के आधार पर राजनीतिक दलों को सार्वजनिक वित्तपोषण प्रदान करते हैं। सिएटल जैसी कुछ जगहों ने "लोकतंत्र वाउचर" के साथ प्रयोग किया है, जहाँ पात्र मतदाताओं को अपने चुने हुए उम्मीदवारों को दान करने के लिये वाउचर मिलते हैं।
- **बढ़ी हुई पारदर्शिता:** चुनावी बॉण्ड के माध्यम से दिये गए दान सहित सभी राजनीतिक दानों का व्यापक खुलासा अनिवार्य किया जाए तथा राजनीतिक वित्त पर कड़ी निगरानी के लिये एक स्वतंत्र आयोग की स्थापना की जाए।

?????? ???? ????:

??????: भारत में राजनीतिक दान के लिये कर रियायतों के रुझानों पर चर्चा कीजिये। ये रुझान राजनीतिक वित्त परदृश्य और राजकोषीय नीति को कैसे प्रभावित करते हैं?

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

??????:

प्रश्न . भारत में काले धन के सृजन के नमिनलखिति प्रभावों में से कौन-सा भारत सरकार की चिता का प्रमुख कारण है?

- (a) स्थावर संपदा के वर्य और वलासतियुक्त आवास में नविश के लिये संसाधनों का अपयोजन
- (b) अनुत्पादक गतिविधियों में नविश और जवाहरात, गहने, सोना इत्यादि का वर्य
- (c) राजनीतिक दलों को बड़े चंदे एवं क्षेत्रवाद का विकास
- (d) कर अपवंचन के कारण राजकोष में राजस्व की हानि

उत्तर:(d)

